

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2015/चैत्र 18, 1937

No. 742]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2015/CHAITRA 18, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2015

का.आ. 968(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिसूचित करती है कि विशेष आर्थिक जोनों में किसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में इकाइयों की स्थापना और उनका अनुमोदन समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बीमा कारोबार विनियमन) नियम, 2015 [सा.का.नि. 229(अ) दिनांक 27 मार्च, 2015] और दिनांक 27 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 870(अ) के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के अनुसार, और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में बनाए गए और अधिसूचित मार्ग निर्देशों या विनियमों के अधीन किया जाएगा, अर्थात् :—

- i. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा निर्देश, 2015 [दिनांक 6 अप्रैल, 2015]
- ii. विदेशी विनियम प्रबंधन (अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियम, 2015, [सा.का.नि. 218(अ) दिनांक 02 मार्च, 2015]
- iii. भारतीय बैंकों द्वारा आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) की स्थापना करने के लिए स्कीम (दिनांक 01 अप्रैल, 2015)

iv. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशानिर्देश, 2015 [दिनांक 27 मार्च, 2015]

2. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाइयां विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप होगी।

[फा. सं. डी. 12/25/2009-एसईजेड]

भूपिन्दर एस. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2015

S.O. 968(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby notifies that Units in an International Financial Services Centre in Special Economic Zones may be set up and approved in accordance with the Special Economic Zones Rules, 2006, read with Notification S.O. 870(E) dated 27th March, 2015, and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulation of Insurance Business in Special Economic Zone) Rules, 2015, as amended from time to time, subject to the guidelines or regulations framed and notified in this regard by the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India and the Insurance Regulatory and Development Authority of India, namely:—

- i. Insurance Regulatory and Development Authority of India (International Financial Service Centre) Guidelines, 2015 [Dated 6th April, 2015]
- ii. Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015 [G.S.R. 218(E) dated 2nd March, 2015]
- iii. Scheme for setting up of IFSC Banking Units (IBU) by Indian Banks [Dated April 1, 2015]
- iv. Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 [Dated 27th March, 2015]

2. The units in International Financial Services Centre shall conform to the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and the Special Economic Zones Rules, 2006 and the regulations made thereunder.

[F. No. D. 12/25/2009-SEZ]

BHUPINDER S. BHALLA, Jt. Secy.